"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2026 — श्रावण 16, शक 1948

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 2026

अधिसूचना

क्र. RULE-801/101/2026-UAD.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड.) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य या राज्य सभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''**4.- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नामनिर्देशन पर प्रतिषेध.-** किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त नहीं किया जाएगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 2026

क्रमांक RULE-801/101/2026-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-8-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th August 2026

NOTIFICATION

No. RULE-801/101/2026-UAD.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with clause (e) of sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and Section 355, read with clause (e) sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal (Qualifications for nomination as Representative by a Member of the House of People or Member of the Legislative Assembly or Member of the Council of State) Rules, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 3, the following shall be added, namely:-

“4. Prohibition on the Nomination of Family Members of Elected Women Representatives as Representatives.- The husband, son, daughter, brother, sister, or any other close family member or relative of an elected woman Public Representative shall not be nominated or appointed as her proxy representative or liaison person in any Urban Local Body.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.